भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6
04.12.2023 को उत्तर के लिए

मानव-पशु संघर्ष

6. श्री दिलेश्वर कामैत:
श्री अशोक महादेवराव नेते:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मानव-पशु संषर्घ में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे संघर्षों के क्या कारण हैं;
(ग) सरकार द्वारा निवासियों, उनकी फसलों और पशुधन/पालतू जानवरों को जंगली जानवरों के हमलों से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;
(घ) क्या वन्य जीवों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) ऐसे जानवरों को पकड़ने और उन्हें घने जंगल में वापस छोड़ने के लिए राज्य वन विभाग को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) : देश के विभिन्न भागों से मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं सूचित की गई हैं। मंत्रालय में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, हाथियों और बाघों के कारण मारे जाने वाले लोगों का ब्यौरा **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में दिया गया है। मानव-वन्यजीव संघर्ष के मुख्य कारणों में ये शामिल हैं:

i. पर्यावास का अवक्रमण, प्राकृतिक शिकार स्थल में कमी, मनुष्यों द्वारा चारण, ईंधन की लकड़ी, घास हटाने और जंगली फलों के दोहन आदि जैसे विभिन्न कारणों से वन्यजीव पर्यावास में उपलब्ध संसाधन का उपयोग।

ii. सतत संरक्षण प्रयासों के कारण जंगली जानवरों की संख्या में वृद्धि।

iii. वन के सीमावर्ती क्षेत्रों में परिवर्तनशील फसल पद्धति, आवारा कुत्तों और मवेशियों की मौजूदगी आदि।

(ग), (घ) और (ड.) : वन्यजीवों के संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

i. मंत्रालय ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से निपटने हेतु दिनांक 06.02.2021 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शिका जारी की है।
ii. मंत्रालय ने फसलों को होने वाले नुकसान सहित मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्रबंधित करने के संबंध में दिनांक 3 जून, 2022 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
iii. मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.03.2023 को मानव-हाथी, मानव-गौर, मानव-तेंदुआ, मानव-सर्प, मानव-मगरमच्छ, मानव-रिसस मकॉक, मानव-जंगली सुअर, मानव-भालू, मानव-ब्लू बुल और मानव-काला हिरण संघर्ष के उपशमन के लिए प्रजाति-विशिष्ट दिशा-निर्देशों के साथ-साथ भारत में वन और मीडिया सेक्टर के बीच सहयोग, मानव-वन्यजीव संघर्ष उपशमन के संदर्भ में पेशागत स्वास्थ्य और सुरक्षा; मानव-वन्यजीव संघर्ष से संबंधित स्थितियों में भीड़ का प्रबंधन तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों जैसे विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
iv. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से निपटने हेतु विनियामक ढांचा उपलब्ध कराया गया है।
v. जंगली जानवरों और उनके पर्यावासों को संरक्षित करने हेतु, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत देशभर में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करते हुए संरक्षित क्षेत्रों नामत: राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों का एक नेटवर्क तैयार किया गया है।
vi. केन्द्र सरकार देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन के लिए, केन्द्र प्रायोजित स्कीमों- 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
vii. इन स्कीमों के तहत, फसल लगे खेतों में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने हेतु समर्थित कार्यकलापों में कांटेदार तार का बेड़ा, सौर ऊर्जा से संचालित विद्युत बाड़, कैक्टस का रोपण करके जैविक-बाड़, बाउंडरी वॉल आदि जैसे भौतिक अवरोधकों का निर्माण/सृजन शामिल है।

देश में जंगल में रहने वाले एशियाई शेरों, बाघों और हाथियों की अनुमानित संख्या निम्नवत् है:

प्रजाति का नाम	वर्ष	आबादी (संख्या)
एशियाई शेर	2020	674
बाघ	2022	3682
हाथी	2017	29,964

अनुबंध - I

"मानव-पशु संघर्ष" के संबंध में दिनांक 04.12.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

हाथियों द्वारा मारे गए लोगों की संख्या

क्र . सं .	**राज्य**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
1	आंध्र प्रदेश	4	6	एन. आर.
2	उत्तर प्रदेश	0	0	2
3	असम	75	91	63
4	छत्तीसगढ	77	42	64
5	झारखंड	84	74	133
6	कर्नाटक	29	23	17
7	केरल	12	20	25
8	महाराष्ट्र	1	एन.आर.	0
9	मेघालय	4	6	3
10	ओडिशा	117	93	112
11	तमिलनाडु	58	57	37
12	त्रिपुरा	2	1	2
13	उत्तर प्रदेश	6	1	0
14	पश्चिम बंगाल	116	47	77

* एनआर - राज्य से सूचना प्राप्त नहीं

अनुबंध - II

"मानव-पशु संघर्ष" के संबंध में दिनांक 04.12.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्यों में बाघ रिजर्वों में बाघों द्वारा मारे गए लोगों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2020	2021	2022
1	बिहार	1	4	2
2	कर्नाटक	0	1	1
3	केरल	1	0	0
4	मध्य प्रदेश	6	0	1
5	महाराष्ट्र	25	32	84
6	तमिलनाडु	1	3	0
7	तेलंगाना	2	0	0
8	उत्तर प्रदेश	4	11	14
9	उत्तराखंड	0	1	3
10	पश्चिम बंगाल	4	5	1

***